# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 5 / 2021 (राजसमन्द डिक्री)**

1. प्रतापसिंह पिता शक्तिसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी हिंगवानिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. अनोपसिह पिता रामसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी फलासिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. महेशचन्द्र पिता विजयसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी करजालिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. अशोक कुमार पिता चंदनमल जी, जाति जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. वन्ना पिता प्रताप जी, जाति गुर्जर, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जमना पिता हीरालाल जी, जाति गुर्जर, निवासी माता का गांव, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
दि. 16.09.2020 प्र0सं0 57 / 2017

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

**निर्णय** **दिनांक 09–1–2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्त[illegible] 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत क[illegible] गांव में आराजी नंबर 291 रकबा 13 बीघ[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible]ाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

गुर्जर व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य आपसी जवाबी विभाजन होकर मौके पर काबिज हैं। प्रताप पिता हीरा के वंशज ने भी उक्त जवानी विभाजन के अनुसार अपने हिस्से में आयी भूमि का विक्रय वादी को किया एवं चमना द्वारा भी मौखिक विभाजन से अपने हिस्से में आयी भूमि का विक्रय जगन्नाथ मेवाडा रसीद सोरगर को किया गया व उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 को किया गया। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः वादी को आराजी नंबर 291 में से 1.4894 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से में आपसी पूर्व विभाजन अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05–03–2020 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 16–09–2020 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी संख्या 1 की प्रोपर तामिल हुए बगैर एकतरफा कार्यवाही की जाकर डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 17–02–2021 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अंदर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट की प्रोपर तामिल होने के बाद ही दिनांक 05–03–2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। अपीलान्ट/प्रार्थी [illegible] डिक्री दिनांक 16–09–2020 की जानकारी शुरू से ही थी, फिर भी उनके द्वारा [illegible] अपील विलम्ब से प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अंतिम डिक्री दिनांक 16–09–2021 की अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 15–11–2021 तक है, लेकिन यह अपील दिनांक 1–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 3½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट संख्या 1 कपासन जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी है, फिर भी वादी ने सम्मन प्रातःकाल राजसमन्द में प्रकाशित करवाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने उसी सम्मन के आधार पर अपीलान्ट संख्या 1 की प्रोपर तामिल मानकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट पर प्रोपर तामिल नहीं हुई है। कमिश्नर द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थित में बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर आराजी नंबर 455 व 456 समतल खनन की भूमि रेस्पोन्डेन्ट/वादी को दे दी है तथा उबड़–खाबड़ व मगरी भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में रखी है। उसी फर्द बंटवारे अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी की है, जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलान्ट की प्रोपर तामिल होने के बाद ही अंतिम डिक्री जारी की गयी है तथा प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि उसे प्रोपर तामिल नहीं हुई है तथा वह कपासन चित्तौड़गढ़ का निवासी है, जबकि सम्मन राजसमन्द के प्रातःकाल अखबार में प्रकाशित करवाया ग[illegible] सम्बन्ध में हमने अखबार में हुए प्रकाशन का अवलोकन [illegible] प्रकाशित चित्तौड़गढ़ के प्रातःकाल में प्रकाशित क[illegible] है, [illegible] अपीलान्ट की यह आपति उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) राजसमन्द में वादी अशोक कुमार द्वारा विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद में निर्णय दिनांक 27–02–2007 वादी अशोक कुमार के पक्ष में किया जाकर विवादित आराजी नंबर 291 में खनन कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी चमना, जगन्नाथ व रसीद को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट अशोक कुमार द्वारा जिन पड़ोसों के मध्य की भूमि क्रय की गयी है, विभाजन में वही भूमि उसके हिस्से में रखी गयी है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य हुए पूर्व विभाजन अनुसार ही प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर उसी अनुसार बंटवारा किये जाने के निर्देश दिये हैं तथा प्राप्त फर्द बंटवारे अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–09–2020 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर............

व इजलास ...............................प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ..........................................

प्रतापसिंह पिता शक्तिसिंह राजपूत, निवासी हिंगवानिया, तह. कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य

बनाम

अशोक कुमार पिता चंदनमल जैन, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......05 / 2021........व नाराजगी डिगरी अदालत ............उपखण्ड अधिकारी ................ ...........देवगढ़....... मुकाम................मुवर्खे.........16..........माह...............09...............2020.........................

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........09..........माह.............01.......सन् 2024 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी...............श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल .........मिनजानिब अपीलान्ट व.............श्री संजय बोहरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि....... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16—09—2020 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हरब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............).......रूपये ............ X........ .. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ...................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........09............माह............01..............2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)<br>
भू—प्रबन्ध अधिकारी<br>
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ........ | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा... | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... | | | 2. स्टाम्प अर्जी .............. | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ....... | | | 3. इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| 4. वकील फीस बाबत ......... | | | 4. मेहनताना वकील........... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर [illegible] डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested